प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 में नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के प्रयोगार्थ पुराने 03 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर तीन नए वाहन तथा 03 अन्य नए वाहनों के क्रय (कुल 06 वाहन) हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 354/ ना0उ0नि0-2024/376/2007-08, दिनांक 21 जनवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि नागरिक उड्डयन निदेशालय के 03 राजकीय वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर निस्तारित करते हुए समान प्रकार के 03 नए वाहनों को क्रय किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र.स.	**निस्तारित वाहन**		**नए प्रस्तावित वाहन**	
	वाहन मेक /मॉडल	**निस्तारण वर्ष**	**वाहन मेक /मॉडल**	**क्रय मूल्य (रु0)**
1.	फोर्ड आइकॉन (UP32BG3725)	दिसम्बर, 2019	मारूति स्विफ्ट डिजायर	5,62,584.62
2.	अम्बेसडर (UP32BG5799)	मई, 2023	मारूति स्विफ्ट डिजायर	5,62,584.62
3.	टोयोटा क्वालिस (UP32AU4800)	मई, 2023	महिंद्रा स्कार्पियो	18,21,381.00
			योग	**29,46,550.24**

साथ ही अभियंत्रण कार्यों के लिए प्रयोग किए जा रहे 03 वाहन/ग्राउण्ड इक्यूपमेंट को भी निष्प्रयोज्य घोषित कर निस्तारित करते हुए नए वाहनों को क्रय किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	**निस्तारण हेतु प्रस्तावित वाहन/ग्राउण्ड इक्यूपमेंट**	**नए प्रस्तावित वाहन**	
	वाहन मेक /मॉडल	**वाहन मेक /मॉडल**	**क्रय मूल्य (रु0)**
1.	टाटा ट्रक 407 (UP45G0118)	टाटा ट्रक 407 अथवा समकक्ष मॉडल	15,23,499.00
2.	एच0एम0टी0 मेक ट्रैक्टर (UP32BG0061)	ट्रैक्टर	15,91,923.00
3.	वोल्टास मेक फार्क लिफ्टर	फार्क लिफ्टर	22,65,000.00
		योग	**53,80,422.00**

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में किए गए प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में नागरिक उड्डयन निदेशालय , उ0प्र0, लखनऊ के प्रयोगार्थ पुराने 03 निष्प्रयोज्य राजकीय वाहनों के स्थान पर तीन नए वाहन तथा 03 अन्य नए वाहनों के क्रय व साज-सज्जा पर व्यय होने वाली अनुमानित धनराशि रु0 90.00 लाख (रूपये नब्बे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन निस्तारित वाहनों से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त अभियंत्रण कार्यों के लिये प्रयोग किये जा रहे 03 वाहन/ग्राउण्ड इक्यूपमेंट के स्थान पर नये प्रस्तावित वाहन क्रय किये जाने के पश्चात पुराने 03 वाहन/ग्राउण्ड इक्यूपमेंट को भी निष्प्रयोज्य घोषित कर निस्तारण कराते हुये प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ की होगी।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

5- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च , 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ जैम (GEM) की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता अपने स्तर पर सुनिश्चित करगें।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त में आने वाली धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष "5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-05-नागरिक उड्डयन निदेशालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या E-7-673-X-2023-24- दिनांक 15-3-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

पृ0सं0: 32/2024/247(1) छप्पन-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई0एस0 111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल |

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।